आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) मन्टु पासवान, (2.) राजू पासवान दोनों के पिता स्व0 अर्जुन पासवान एवं (3.) सुखदेव राम पिता स्व0 हुलास राम, निवास स्थान ग्राम वो पोस्ट–डांड, थाना–कटकमसांडी, जिला–हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–कटकमसांडी, मौजा–पिचरी, थाना नं0–51, खाता संख्या–14, प्लॉट संख्या–24, रकवा–0.60 एकड़ (60 डिसमिल) (साठ डिसमिल) भूमि सुधा रानी पति प्रकाश कुमार दास, निवास स्थान ग्राम–हरला, पोस्ट–हेवई, थाना–केरेडारी, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति तथा भूमि से संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-172/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1005/रा0 दिनांक 13.03.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 223 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत बालो दुसाध वल्द साहेब दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 3.26 एकड़ भूमि है। पंजी–II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 2.63 भूमि है। ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ संख्या–27/I पर बालो दुसाध के नाम से से मौजा–पिचरी, थाना संख्या–51, खाता संख्या–14, रकवा–2.63 एकड़ की जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत् है। आवेदक के परदादा खतियानी एवं जमाबंदी रैयत हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 2.63 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 2.03 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू–अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही B.L.R Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	3

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में (1.) मन्टु पासवान, (2.) राजू पासवान दोनों के पिता स्व0 अर्जुन पासवान एवं (3.) सुखदेव राम पिता स्व0 हुलास राम, निवास स्थान ग्राम वो पोस्ट-डांड, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-पिचरी, थाना नं0-51, खाता संख्या-14, प्लॉट संख्या-24, रकवा-0.60 एकड़ (60 डिसमिल) (साठ डिसमिल) भूमि सुधा रानी पति प्रकाश कुमार दास, निवास स्थान ग्राम-हरला, पोस्ट-हेदई, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.06.19 13:28:37 +05:30
Location: 192.168.43.127